

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 128 /91/2011/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2.2.2011

✓ आयुक्त,
लोक शिक्षण
म.प्र.भोपाल

विषय:- म.प्र. मानव अधिकार आयोग में लंबित प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा जवाब न भेजने के संबंध में।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्र. 7-67/2010/1/मा.अ.प्र. दिनांक 15.12.10 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

निर्देशानुसार लेख है कि उल्लेखानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से इस विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मानव अधिकार आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

31/2/11
अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

15
02/2/11

मानव
सर्वेक्षण
2/2/11

मुलतः वापस
प्रमाणित पत्र

सिधुवप
4/2/11

आ.प्र.

18
05/2/11

10
25/2

31
23/2/11

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Gen-Cp/4558
Date 26/11/10

कार्यालय: पर्यावास भवन, खण्ड-1
अरेरा हिल्स, जेल रोड
भोपाल-(म.प्र.) 462011
दूरभाष : (0755) 2571935

नूति ए.के. सक्सेना
कार्यवाहक अध्यक्ष
प्रदेश मानव अधिकार आयोग

67/10/1/10-205

अर्द्ध शास. पत्र क्र. 2547-3 /माअआ/काअ/निस/10
भोपाल, दिनांक 24-11-10

विषय:- आयोग में लम्बित प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा जवाब न भेजने के संबंध में।

000000

934 लेख 31

1129
24/11/10

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रकरण लम्बित हैं जिनमें शासन के विभिन्न विभागों अथवा कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, परन्तु अनेक जिलों के अधिकारी, जिनमें विशेष रूप से जिला कलेक्टर शामिल हैं, आयोग के पत्रों का जवाब प्रस्तुत करने में, प्रतिवेदन देने अथवा आयोग में उपस्थित होने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिससे आयोग में शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित लम्बित प्रकरणों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है तथा स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। अनेक बार कई अवसर देने के बाद अधिकारियों के विरुद्ध जमानती वारंट तक जारी करना आवश्यक हो जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस संबंध में मंत्रालय सहित समस्त जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वे आयोग द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों का उत्तर समय सीमा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन भेजना अथवा उपस्थित होना सुनिश्चित करें जिससे आयोग को अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े। आपके निर्देशों के बाद भी यदि स्थिति में सुधार नहीं आता है, तब आयोग को स्वयं ही शीघ्रता से नुटि करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना आवश्यक हो जावेगा।

यह आयोग अपेक्षा करता है कि आपके निर्देशों के बाद स्थिति में सुधार आयेगा तथा नुतिवर्ती अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण गंभीरता से आयोग के आदेशों का पालन करेंगे।

R. 03
27/11/10
प्रति,

24-11-10

(जस्टिस ए.के.सक्सेना)
कार्यवाहक अध्यक्ष

श्री अविनि वैश्य,
आय.ए.एस.
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल (म0प्र0)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र)
मंत्रालय
वत्सभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 7-67/2010/1/माअप्र.
प्रति,

भोपाल, दि 15-12-2010

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
शासन के सभस्त विभाग
मध्यप्रदेश शासन,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागोय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश.

91
11/11/11


R/K

विषय- म0प्र0मानव अधिकार आयोग में लंबित प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा जवाब न भेजने के संबंध में।

-00-


उपरोक्त विषय के संबंध में माननीय अध्यक्ष म0प्र0मानव अधिकार आयोग ने उनके अ.शा. पत्र दि. 24.11.10 (प्रति संलग्न) में उल्लेख किया है कि आयोग में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं, जिनमें शासन के विभिन्न विभागों अथवा कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, परन्तु अनेक जिलों के अधिकारी जिनमें से विशेष रूप से जिला कलेक्टर शामिल हैं आयोग के पत्रों का जवाब प्रस्तुत करने में प्रतिवेदन देने अथवा आयोग में उपस्थित होने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिससे आयोग में शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है।

निर्देशानुसार अवगत होवे कि प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा प्रेषित पत्रों अनुशरण/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। आयोग द्वारा समन करने पर समक्ष में उपस्थित होकर विषय/तथ्य को स्पष्ट भी करे।


(डी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र.)
भोपाल, दि 15-12-2010

क्रमांक एफ 7-67/2010/1/माअप्र.
प्रतिलिपि-

1. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सी.एस.जनरल मॉनिट क्र. 4558/10, दि. 26.11.10 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार लॉ, म0प्र0मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र.)


Copy to All Sec's
for Compliance.

2.2.4

लोक शिक्षण संचालनाय
मध्य प्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक/समन्वय/डी/45/2009-2010/39 भोपाल, दिनांक 3/3/2011
प्रतिलिपि:-

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर, इन्दौर, भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर।
7. प्राचार्य, शासकीय तात्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय, शिवपुरी।
8. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र, 1464 टी.टी.नगर, भोपाल।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्यप्रदेश।
10. मुख्य पुस्तकालय इन्दौर, भोपाल रीवा एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कूट एवं गाइड एसोसिएशन भोपाल।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक, सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश